

19/C

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]
No. 181]

दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2009/कार्तिक 27, 1931

[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 233

DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2009/KARTIKA 27, 1931 [N.C.T.D.No. 233

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

सं. फा. डी. ई. 01(05)/15/रीडर/स्था.-1/08/18540.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13, जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम(आई) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 11 के अधीन गठित दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण में रीडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहाँ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण में रीडर के पद भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या चयन पद है या गैर-चयन पद | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा |
|-----------|--|--|-------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीडर | *01(2008) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय | 4000-100-6000 रु. | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | | | | क्या के.सि.सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं |
| | (7) | | | | (8) |
| | लागू नहीं | | | | लागू नहीं |

-VVA/1/1/2009

१६८

12

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(9)

(10)

लागू नहीं

लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी :

(क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले ; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में 3200-4900 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित; अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 3050-4590 रु. या समकक्ष के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित; तथा

(ख) किसी पीठासीन न्यायालय/अपीलीय न्यायालयों/न्यायाधिकरण में रीडर अथवा अहलमद के रूप में कार्य अनुभव ।

टिप्पण्य : प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?

वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है

(13)

(14)

लागू नहीं

लागू नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, जी. एल. मीणा, अतिरिक्त सचिव

EDUCATION DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2009

No. F. D.E. 1(5)/15/RR/Reader/E-1/08/18540.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F. 27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules in the schedule annexed thereto regarding the method of recruitment and qualifications, necessary for appointment to the post of Reader in the Delhi School Tribunal, constituted under Section 11 of the Delhi School Education Act, 1973 in the Department of Education, Government of the National Capital Territory of Delhi.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Reader in the Delhi School Tribunal in the Department of Education,
Government of N.C.T. of Delhi

| Name of the post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Reader | 01*(2008) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 4000-100-6000 | Not applicable | Not applicable |
| Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 | | | Educational and other qualifications required for direct recruits | | |
| (7) | | | (8) | | |
| Not applicable | | | Not applicable | | |
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | | | | Period of Probation, if any | |
| (9) | | | | (10) | |
| Not applicable | | | | Not applicable | |
| Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods | | | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made | | |
| (11) | | | (12) | | |
| By deputation | | | Deputation : Officers of the Central Government/State Government/Union Territories : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 3200—4900 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) With 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 3050—4590 or equivalent in the parent cadre/department; and | | |

94/c

(12)

(b) Working experience as Reader or Ahlmed in any Presiding Court/Appellate Courts/Tribunal.

Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government/State Governments/Union Territories shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications.

If a DPC exists, what is its composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
G. L. MEENA, Addl. Secy.